न्यायालय श्रीमान ~~आयुक्त~~ राजस्व मण्डल महोदय, उज्जैन म0प्र0

प्र0क्रं0-

R-4420-I/12

मणीशंकर पिता किशोर सिंह, भीमावद, आयु-44वर्ष, निवासी ग्राम तिलावद गोविन्द, तहसील व जिला शाजापुर म0प्र0 --निगरानीकर्ता,

बनाम

1- विजेन्द्रकुमार चौधरी पिता रामेश्वर चौधरी, जाति कुल्मी, आयु-42वर्ष, निवासीग्रामतिलावद गोविन्द, तह0 व जिलाशाजापुर म0प्र0

2- म0प्र0शासन, -----विपक्षीगण,

निगरानी अंतर्गतधारा-50 म0प्र0भू0रा0सं0- आदेश दिनांक-8-6-11 प्र0क्रं0-13-अ/12-11 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, टप्पा बेरछा, के आदेश से असन्तुष्ट होकरयह निगरानी प्रस्तुत है.

257
5/12/2012

11-12-12

18-12-12

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुतहै:-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण.

यहकि विपक्षी क्रं0-1 द्वारा अपनीभूमि सर्वे क्रं0-420/2रकबा-0.20 आरे, है0भूमि कासीमांकन कराने हेतु आवेदनप्रस्तुत कियाथा। जिस पर सेअधिनस्थ न्यायालयद्वारा सीमांकन कराने का आदेश दियापटवारी एवं गिरदावर द्वारा मौके परसीमांकन किया गया जिसमें निगरानीकर्ता की कृषि भूमि में 0.09 आरेभूमि पर कब्जा होनापाया गया। जिसके पश्चात् पटवारी द्वारा सीमाचिन्ह अंकित किये गये उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है। तथा निगरानी के साथ मे धारा-5 अवधी विधान काआवेदन साथ मे प्रस्तुत है।

निगरानी के आधार,

यहकि उक्त आदेश न्याय विधान के विरूद्ध होकरनिरस्त

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4420-एक/12 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक।	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.जी. नायक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	